न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 40 / 2020
दायर दिनांक : 20 / 10 / 2020
निर्णय दिनांक : 16 / 03 / 2022

उनवान

वन एवं पहाड़ विकास फाउण्ड़ेशन जरिये ओमप्रकाश खटीक पिता हरलाल खटीक निवासी ग्राम ताणा तहसील भूपालसागर

वादीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति : 1. श्री अमित तिवारी, वकील वादी
2. तहसीलदार, भूपालसागर, प्रतिवादी पैरोकार सरकार

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी वन एवं विकास फाउण्ड़ेशन गांव ताणा जो कि कम्पनी एक्ट में निगमित निकाय है एवं जिसका रजिस्ट्रेशन होकर इस फाउण्डेशन के डायरेक्टर 1. किशनलाल पिता बालूराम माली 2. ओमप्रकाश पिता हरलाल खटीक 3. नारायणलाल पिता गोदा गाड़री 4. मदनलाल पिता भीमराज बुनकर 5. पिण्टु कुमार पिता हजारीलाल शर्मा 6. पुष्करलाल पिता तुलसीराम लौहार 7. जयदीप जायसवाल 8. नाथूलाल पिता नारायणलाल जटिया हैं जो सभी डायरेक्टर गांव ताणा तहसील भूपालसागर के निवासी हैं। ग्राम ताणा के साबिक आराजी संख्या 4/2 रकबा 65 बीघा, आराजी संख्या 4/3 क रकबा 41 बीघा कुल किता 2 रकबा 106 बीघा भूमि स्थित है जो श्री समस्त खारोल जाति के मुखियाओं बाबरू पिता अम्बा खारोल, चमार जाति के मुखिया रामा पिता भाणा चमार, भांभी जाति के मुखिया प्यारा पिता वरदा, कुम्हार जाति के मुखिया जगन्नाथ पिता लालू, बैरागी जाति के मुखिया मथुरादास पिता किशनदास, कुमावत जाति के मुखिया भगवान पिता उंकार कुमावत, माली जाति के मुखिया देवा पिता उमा माली, शोभालाल पिता हजारीलाल, केशुलाल, मांगीलाल पिता केशुलाल, सुथार जाति के मुखिया शंकर पिता घासी सुथार, मगधर पिता रामेश्वर, गाडरी जाति के मुखिया किशोरसिंह पिता सरदारसिंह एवं खटीक जाति के मुखिया भाणा पिता देवा, नन्दा पिता नवला, गमेर पिता किशोर, दामा पिता पेमा, नन्दा पिता हरिराम, प्रताप पिता देवा, कजोड़ पिता भेरा एवं उदा पिता घासी खटीक के संयुक्त [illegible] साबिक जाति के मुखिया उक्त वर्णित भूमि के बहैसियत मालिक काबिज थे। उक्त [illegible] आराजी संख्या के पैमाईश में हाल आराजी संख्या 136, 468 से 474 कुल किता 8 कुल [illegible] हैक्टेयर भूमि शामिल कर इसी आराजियात में अन्य खातेदार के नाम के साथ [illegible] कर 4/2 रकबा 65 बीघा, 4/3 क रकबा 41 बीघा 4 बिस्वा पर समस्त गांवाई दर्ज कर दिया जबकि इस भूमि में समस्त गांवाई के साथ जाति के मुखिया जो पैमाइश से पूर्व [illegible] थे, के नाम पर दर्ज किया जाना चाहिए था। इस बाबत ग्राम ताणा के पटवारी द्वारा भी रिपोर्ट कर रखी है। उक्त साबिक आराजी संख्या के जो हाल नंबर पैमाइश में दर्ज किये गये थे उस समय सेटलमेंट की त्रुटि से प्रारम्भ में समस्त गांवाई का नाम दर्ज कर दिया जबकि सेटलमेंट को इस समस्त गांवाई के साथ साबिक आराजी संख्या में जो जाति के मुखियाओं के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.03.23 15:25:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

थे उन मुखियाओं के नाम पैमाईश में दर्ज किये जाने चाहिए थे ऐसी स्थिति में उक्त सेटलमेंट की त्रुटिवश इस तरह की कार्यवाही संस्थित की गई है। साबिक आराजी के खातेदार जो कि समस्त जाति के मुखिया थे, उन सभी मुखियाओं के नाम पुनः दर्ज किये जाने बाबत कार्यालय ग्राम पंचायत, ताणा, पंचायत समिति भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ में आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 06.03.2020 को सरपंच की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया कि उस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत में निवासरत विभिन्न जाति के मुखिया जो पूर्व में थे और जिनकी मृत्यु हो जाने या निवासरत नहीं रहने या अयोग्य हो जाने के कारण समस्त समाज के निवासरत समस्त जातियों के मुखियाओं के नाम सर्वसम्मति से घोषित किये गये और उन्हे अधिकृत किये गये कि वो समाज की सम्पत्ति यथा समिति इत्यादि की सुरक्षा, देखभाल, व्यवस्था आदि करने के लिए किसी भी प्रकार की समिति/फाउण्डेशन/ट्रस्ट इत्यादि बना सकेगें या वाद प्रस्तुत करने के लिऐ किसी को भी अधिकृत कर सकेगें जिस आधार पर सभी मुखियाओं में वादी फाउण्डेशन का गठन किया और यह वाद प्रस्तुत करने हेतु डायरेक्टर ओमप्रकाश खटीक को अधिकृत किया गया है जिस आधार पर ओमप्रकाश खटीक द्वारा अपने हस्ताक्षरित यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है और इस प्रकार ग्राम पंचायत, ताणा द्वारा सर्वसम्मति से समाज के वर्तमान मुखियाओं के नाम जो कि जाति के अनुसार घोषित किये गये, जिनमें बुनकार/भांबी जाति के मुखिया मदनलाल पिता भीमराज, चमार/जटिया जाति के मुखिया नाथूलाल पिता नारायणलाल, शर्मा/बैरागी/कुमावत समाज के मुखिया पिण्टु पिता हजारीलाल, माली/सैनी जाति के मुखिया किशनलाल पिता बालूराम, खारोल जाति के मुखिया रणजीतलाल पिता गोपीलाल, गाडरी/गडरिया जाति के मुखिया नारायण पिता गेंदा, खटीक जाति के मुखिया ओमप्रकाश पिता हरलाल, नीरज पिता मांगीलाल तथा लौहार जाति के मुखिया पुष्कर पिता तुलसीराम इत्यादि को मुखिया घोषित किया गया। इस प्रकार गांव ताणा के निर्णय दिनांक 06.03.2020 के अनुक्रम में जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसके तहत उक्त सभी जाति के मुखियाओं के द्वारा एक फाउण्डेशन का गठन किया गया, जिसका नाम 'वन एवं पहाड़ विकास फाउण्डेशन' होकर उक्त सभी जाति के मुखिया एवं जो कि इस फाउण्डेशन के डायरेक्टर हैं जो इस प्रकरण में बतौर वादी की ओर से जाति के मुखिया ओमप्रकाश खटीक के हस्ताक्षरित यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। साबिक आराजी के समस्त जाति के नाम जिसका विवरण ऊपर वर्णित अनुसार थे लेकिन सहवन से सेटलमेंट की त्रुटिवश पैमाईश के समय समस्त गांवाई के नाम भूमि दर्ज कर दी गई जबकि समस्त गांवाई के साथ जाति के मुखियाओं के नाम भी दर्ज होने चाहिऐ थे लेकिन क्योंकि तात्कालीन साबिक नंबरों के समय मुखिया में कई मुखियाओं की मृत्यु हो गई और कई अयोग्य हो गये एवं कई अन्यत्र चले जाने के कारण पैमाइश में समुचित नाम मुखियाओं के दर्ज नहीं किये जा सके और अब चूंकि ग्राम पंचायत, ताणा द्वारा अपनी बैठक दिनांक 06.03.2020 के अनुक्रम में वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित समस्त समाज के वर्तमान मुखियाओं के नाम घोषित किये गये और साथ ही पंचायत द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उक्त भूमि की सुरक्षा देखभाल इत्यादि करने के लिऐ समिति, फाउण्डेशन, ट्रस्ट आदि बनाने का निर्णय किया गया। इसी क्रम में वन एवं पहाड विकास फाउण्डेशन का गठन किया गया, ऐसी स्थिति में उक्त वर्णित भूमि वादीगण के [illegible] कि जिसके बाबत वादीगण ने ग्राम पंचायत, ताणा को एवं तहसीलदारजी के [illegible] पर [illegible] दर्ज कराने हेतु निवेदन किया गया लेकिन उन्होने यही कहा कि सक्षम न्यायालय से [illegible] के नाम पर भूमि दर्ज करने हेतु आदेश होने पर ही वह दर्ज कर सकते हैं [illegible] और इसीलिए मजबूर होकर यह घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी वन एवं पहाड़ विकास फाउण्डेशन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की डिक्री प्रदान कराई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सूचना पत्र जारी कर तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी तहसीलदार, भूपालसागर (पैरोकार सरकार) द्वारा वाद में प्रस्तुत अपने जवाब दिनांक 24.12.2020 में बताया कि ग्राम वाद पत्र पैरा 1 में जवाब अपेक्षित नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.03.23 15:25:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

है। पैरा संख्या 2 का पूर्वार्द्ध भाग साबिक रिकार्ड अनुसार होने से स्वीकार है। उत्तरार्द्ध भाग में वर्णित कब्जे संबंधित तथ्य वादी स्वयं सिद्ध करें। पैरा संख्या 3 वर्तमान रेकार्ड अनुसार होने तक स्वीकार है, शेष वादी स्वयं सिद्ध करे। पैरा संख्या संख्या 3 वर्तमान रेकार्ड अनुसार होने तक स्वीकार है, शेष वादी स्वयं सिद्ध करे। पैरा संख्या 4 अनुसार साबिक आ.सं. 4/2 रकबा 65 बीघा एवं आ.सं. 4 रकबा 41 बीघा 4 बिस्वा वाद पत्र पैरा अनुसार समस्त जाति के मुखियाओं के नाम दर्ज थी परन्तु भू प्रबंध के समय सहवन से मुखियाओं के नाम हट गये एंव समस्त गांवाई दर्ज कर दिया, जो सही नहीं है, अतः वाद पत्र पैरा 4 अस्वीकार है। पैरा संख्या 5 में वर्णित कथन का औचित्य सिद्ध करने का दायित्व वादीगणों का होने से जवाब अपेक्षित नहीं है। पैरा संख्या 6 में जवाब अपेक्षित नहीं है, वर्णित कथन का औचित्य वादी स्वयं सिद्ध करे। पैरा संख्या 7 में वर्णित पूर्वाद्ध भाग आंशिक स्वीकार है, फाउण्डेशन की औचित्यता संबंधी कथन वादी स्वयं सिद्ध करे। पैरा संख्या 8 का पूर्वाद्ध भाग अस्वीकार है, उत्तरार्द्ध भाग में फाउण्डेशन की औचित्यता संबंधी कथन वादी स्वयं सिद्ध करे। वाद पत्र पैरा संख्या 9 में जवाब अपेक्षित नहीं हो कर अपना कथन वादी स्वयं सिद्ध करे। पैरा संख्या 10 माननीय न्यायालय से संबंधित होने से जवाब अपेक्षित नहीं है। वाद पत्र पैरा संख्या 11 साबिक जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड अनुसार हाल रेकार्ड में दुरुस्ती किया जाना उचित है, शेष कथन को सिद्ध करना वादी का दायित्व है।

इस प्रकार वाद पत्र एवं पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार निम्न प्रकार तनकियात कायम की गई :

1. आया वादी वादग्रस्त आराजियात ग्राम ताणा के आराजी नंबर 4/2 रकबा 65 बीघा व आ. नंबर 4/3 क रकबा 41 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 106 बीघा (हाल आराजी नंबर 136, 468 ता 474 कुल किता 8 कुल रकबा 11.26 हैक्टे.) कृषि भूमि वादी 'वन एवं पहाड़ विकास फाउण्डेशन' के नाम दर्ज किये जाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

जिम्मेवादी

2. आया वादी वादग्रस्त आराजियात जो समस्त जाति के मुखियाओं के नाम दर्ज थी परन्तु भू प्रबंध के समय सहवन से मुखियाओं के नाम हट गये व समस्त गांवाई दर्ज हो गये, जिसे वादी 'वन एवं पहाड़ फाउण्डेशन' के नाम दर्ज करवा कर रिकार्ड दुरुस्ती करवाने का अधिकारी है।

जिम्मेवादी

3. दादरसी

शहादत वादी में गवाह वादी श्री ओमप्रकाश खटीक ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो कि PW 1 है एवं श्री नाथूलाल पिता नारायणलाल जटिया ने उपस्थित होकर बयान दर्ज करवाऐ, जो कि PW 2 है। पत्रावली पर रिपोर्ट पटवारी फोटो प्रति प्रदर्श 1 A है, ग्राम पंचायत, ताणा की बैठक कार्यवाही की प्रति प्रदर्श 2, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रति 3, हाल जमाबंदी प्रदर्श 4, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5, साबिक जमाबंदी प्रदर्श 6 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.03.23 15:25:29 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी ने लिखित बहस वाद पत्र अनुसार ही प्रस्तुत कर सारां[illegible] किया कि वाद पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि वा[illegible] के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने की डिक्[illegible] लिखित बहस में अवगत कराया है कि ग्राम ताणा साबिक [illegible] व आ. न. 4/3क रकबा 41 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 106 बीघा 4 बिस्वा सा[illegible] जमाबन्दी में "समस्त खारोल जाति के मुखिया बाबरू पिता अम्बा खारोल, चमार जाति के मुखिया रामा पिता माणा चमार, भाम्बी जाति के मुखिया प्यारा पिता वरदा, लुहार जाति के मुखिया जगन्नाथ पिता लालु, वैरागी जाति के मुखिया मथुरादास पिता किशनदास, कुमावत जाति के मुखिया भगवान पिता उंकार कुमावत, माली जाति के मुखिया देवा पिता उदा माली, शोभालाल पिता हजारीलाल, मांगीलाल पिता केशुलाल पेमावत, सुथार जाति के मुखिया शंकर पिता घासी सुथार, गंगाधर पिता रामेश्वर, गाडरी जाति के मुखिया भगवान पिता किशना

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

गाडरी भाट जाति के मुखिया किशोरसिंह पिता सरदारसिंह खटीक जाति के मुखिया माणा पिता देवा, नन्दा पिता नवला, गमेर पिता किशोर, रामा पिता पेमा, नन्दा पिता हरिराम, प्रताप पिता देवा, कजोड पिता भेरा, उदा पिता घासी खटीक सा देह" के नाम दर्ज रेकार्ड थी। तथा हाल रेकार्ड उक्त साबिक आराजीयात से बनने वाले नवीन आराजीयात को मिलाते हुए नया खाता बना जिसमे आन. 136 रकबा 20.25 हेक्टे. आ.न. 458 रकबा 77.26 हे. आ.न. 469 रकबा 0.46 हे., आ.न. 470 रकबा 0.08 हेक्टेयर, आ.सं. 471 रकबा 0.21 हे. आ.न. 472 रकबा 0.48 हे. आ.न. 473 रकबा 0.22 हे., आ.सं. 474 रकबा 0.30 हे. कुल किता 8 रकबा 99.21 हेक्टेयर के सामलाती खाते में उक्त साबिक खातेदारान के स्थान पर 4/2 65 बीघा समस्त गावाई 4/3 क 41 बीघा 4 बिस्वा समस्त गावाई सहवन से वक्त सेटलमेन्ट दर्ज हो जाना प्रतीत होता है जिसे साबिक के मुकाबले हाल रेकार्ड में दुरस्त किया जाना उचित है परन्तु प्रकरण में वादी वन एवं पहाड विकास फाउण्डेशन, जरिये डायरेक्टर ओम प्रकाश पिता हरलाल खटीक आयु वयस्क निवासी ताणा द्वारा भूमि अपने नाम दर्ज करवाने के लिये वाद प्रस्तुत किया है, जो विधि सम्मत नही हो कर खारिज योग्य है। वाद साबिक रेकार्ड में दर्ज किसी खातेदार अथवा उनके वारिसान द्वारा प्रस्तुत नही किया जा कर वन एवं पहाड विकास फाउण्डेशन, जरिये डायरेक्टर ओमप्रकाश पिता हरलाल खटीक आयु वयस्क निवासी ताणा द्वारा प्रस्तुत किया है तो खारीज योग्य है। माननीय न्यायालय द्वारा कायम तनकियात 1 से 3 में से किसी को भी वादी प्रमाणित करने में असमर्थ रहने से वाद वैसे ही खारीज योग्य है। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादी भूमि अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है जिससे सरकार को अपार राजस्व क्षति होने की संभावना है। वादी द्वारा अपनी लिखित बहस में बार बार पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक आदि की रिपोर्ट व प्रतिवादी के जवाब दावा आदि में भूमि वन एवं पहाड विकास फाउण्डेशन, जरिये डायरेक्टर ओमप्रकाश पिता हरलाल खटीक आयु वयस्क निवासी ताणा के नाम दर्ज कराने में सहमति दिया जाने का अंकन किया है, जो अस्वीकार है। उक्त रिपोर्ट एवं जवाब में कही पर भी इस प्रकार की सहमति नही ही गई है। राजस्व नियमो में कहीं पर भी किसी खातेदार/पंचायत आदि द्वारा फाउण्डेशन का गठन कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किसी कृषि भूमि को उस फाउण्डेशन के नाम दर्ज करने का कोई प्रवधान नही है, अतः वाद खारीज योग्य है। अतः वाद साबिक के मुकावले हाल रेकार्ड में खातेदारान का नाम दुरस्त करने तक आंशिक स्वीकार किया जाना उचित है अन्यथा खरीज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का एवं वादी तथा पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित बहस का अवलोकन किया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है :

1. इस तनकी को साबित कराये जाने का भार वादी पर होकर आया वादी वादग्रस्त आराजियात ग्राम ताणा के आराजी नंबर 4/2 रकबा 65 बीघा व आ.नंबर 4/3 क रकबा 41 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 106 बीघा (हाल आराजी नंबर 136, 468 ता 474 कुल किता 8 कुल रकबा 11.26 हैक्टे.) कृषि भूमि वादी 'वन एवं पहाड़ विकास फाउण्डेशन' के नाम दर्ज किये जाने की घोषणा करवाने का अधिकारी होना सिद्ध नहीं करा पाने, उपर्युक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने एवं राजस्व निमयों के अनुसार नहीं होने से तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

2. इस तनकी को साबित कराये जाने का भार वादी पर होकर वादी वादग्रस्त आराजियात जो समस्त जाति के मुखियाओं के नाम दर्ज थी परन्तु भू प्रबंध के समय [illegible] मुखियाओं के नाम हट गये व समस्त गांवाई दर्ज हो गये, जिसमें वादी 'वन [illegible] [illegible]डेशन' के नाम दर्ज करवा कर रिकार्ड दुरूस्ती करवाने का अधिकारी होना [illegible] नहीं होने, उपर्युक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने एवं राजस्व निमयों के अनुसार नहीं होने से तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.03.23 15:25:29 IST
Reason: SelfAttested

3. उक्तानुसार तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्ध निर्णित करने से वाद खारिज योग्य है।

प्रस्तुत वाद ग्राम ताणा की साबिक आराजियात सं. 4/2 रकबा 65 बीघा, आ.सं. 4/3 क रकबा 41 बीघा किता 2 रकबा 106 बीघा, जो कि भू प्रबंध से पूर्व गांवाई व ग्राम के सभी

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

समाज के मुखियाओं के नाम दर्ज थी, को भूप्रबंध द्वारा गलत दर्ज कर दिया जाने से वाद में अब डायरेक्टर, वन एवं पहाड़ विकास फाउण्डेशन गांव ताणा के नाम दर्ज की जाने की दाद चाही गई है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, साबिक जमांबदियों से यह स्पष्ट है कि वादित भूमियां गांवाई एवं सार्वजनिक भूमि है, अतः सार्वजनिक भूमि होने से उक्त भूमियों के संबंध में किसी भी ट्रस्ट के डायरेक्टर को वाद लाने का अधिकार नहीं है। यद्यपि ग्रामीणजन ट्रस्ट बनाकर उक्त भूमि का विकास करना चाहते हैं, तो भूमि का केवल मात्र विकास किया जाने के लिये वे स्वतंत्र है, भूमि के सार्वजनिक हितार्थ विकास के लिये राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार के रद्दोबदल की आवश्यकता नहीं है साथ ही राजस्व रिकार्ड में रद्दोबदल विधिसम्मत भी नहीं है। वाद में वर्णित भूमि में पूर्व में अंकित कई समाज के मुखियाओं की भी मृत्यु हो चुकी है, ऐसी स्थिति में वर्तमान में केवल मात्र डायरेक्टर, वन एवं पहाड़ विकास फाउण्डेशन गांव ताणा का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना भी विधिसम्मत नहीं है। राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक–5(8)राज–6/97/6 दिनांक 09.06.2009 में निर्देश प्रदान किये हुऐ हैं कि "यदि अभिधृतिधारक कोई कम्पनी या संस्था है, तो कम्पनी या संस्था के नाम के साथ–साथ जरिये निदेशक, जरिये मैनेजर आदि प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जो भू अभिलेख नियमों का उल्लघंन है। इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों से भविष्य में रिकार्ड संधारण में कठिनाई उत्पन्न होगी। अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में जमाबंदी के कॉलम संख्या 6 में प्रविष्टि नियमानुसार की जावे तथा किसी प्रकार की अवांछनीय प्रविष्टि नहीं की जावे। अब तक हो चुकी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को ठीक करने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 399, 406, 416, 423 के अन्तर्गत व्यापक प्रावधान हैं। राजस्व रिकार्ड को आदिनांक एवं त्रुटिरहित संधारित करना राजस्व अधिकारियों का परम दायित्व है। अतः उपरोक्त प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राजस्व रिकार्ड को आदिनांक एवं त्रुटिरहित करने की कार्यवाही की जावे।" प्रस्तुत वाद में उक्त निर्देशों के अनुसरण में भी प्रश्नगत गांवाई एवं सभी समाज के मुखियाओं के नाम दर्ज रही भूमि को डायरेक्टर, वन एवं पहाड़ विकास फाउण्डेशन गांव ताणा के नाम दर्ज किया जाना उचित नहीं है। वाद पत्र में वाद मुखिया एवं उनके वारिस को लाने का अधिकार है। भू प्रबंध में जमीन मुखिया के नाम से हटकर गावाई दर्ज रेकार्ड है, जिसे दुरूस्ती कराने का अधिकार मुखिया को ही है। ग्राम पंचायत द्वारा ट्रस्ट का गठन कर उक्त भूमियों को डायरेक्टर, वन एवं पहाड विकास फाउण्डेशन ग्राम ताणा के नाम किया जाने का प्रस्ताव पारित किया है, ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रकार का प्रस्ताव किसी भी ट्रस्ट के पक्ष में लिया जाना अपनेआप में ही विधिसम्मत कार्यवाही नहीं है। वादी का वाद सिद्ध नहीं करवाया जाने से मुखिया एवं उनके वारिस को वाद लाने के अधिकार को स्वतंत्र रखते हुऐ वाद खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 16.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
भू प्रबंध अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.03.23 15:25:29 IST
Reason: SelfAttested